न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विविध प्रार्थना पत्र प्र.सं. 70/2024 जीसीएमएस नं. : 2024/130 देवीचन्द–हरजिन्द्र कुमार बनाम सरकार जरिए तहसीलदार श्रीवियजनगर एवं सचिव, कृ.उ.म.स. जैतसर	नम्बर व तारीख अहकाम
29.08.2024	**पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.** उपस्थिति :– 1. श्री योगेन्द्र कुमार, अधिवक्ता प्रार्थीगण 2. राजपैरोकार, अप्रार्थी सं. 1 3. श्री गुरतेज सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 –:: निर्णय ::– पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण देवीचन्द आदि ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 28.05.2024 को प्रार्थना पत्र मय मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एसबी सिविल रिट पिटीशन नं. 8233/2024 देवीचन्द आदि बनाम स्टेट आदि में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2024 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर मा. उच्च न्यायालय राज. जोधपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय की पालना में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2024 को निस्तारित करने हेतु निवेदन किया। मा. उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.05.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधिसम्मत रूप से चार सप्ताह में निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थी देवीचन्द द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2024 (एनेक्जर–6) प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति जैतसर द्वारा प्रार्थी देवीचन्द व हरजिन्द्र कुमार की भूमि में चह रही खड़वंजा सड़क के स्थान पर डामर रोड़ का निर्माण करवाया जाना हैं। डामर रोड़ का निर्माण खडवंजा सडक के चिपते प्रार्थी व उसके भाई की भूमि के अन्दर करवाना चाहते हैं। पहले से भूमि में से माईनर निकल रहा हैं। भूमि दो टुकड़ों में बंटी हुई हैं, मौका पर खड़वंजा सड़क चल रही हैं जो रिकार्ड में स्वीकृत नहीं हैं इसके बावजूद भी प्रार्थी मौका पर चल रही खड़वंजा सडक के स्थान पर ही डामर सड़क का निर्माण करवाने हेतु सहमत हैं। लेकिन ओमप्रकाश, पूर्णराम आदि प्रार्थी की भूमि के अन्दर सड़क बनवाने की फिराक में हैं। अतः प्रार्थी की भूमि के कि.नं. 25 व हरजिन्द्र कुमार की भूमि के कि.नं. 21 ता 25 में 16 1/2 फुट खड़वंजा सड़क जो काफी अरसा से चल रही है पर ही डामर रोड़ का निर्माण करवाने बाबत कृषि उपज मण्डी समिति जैतसर को पाबंध करने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीविजयनगर एंव सचिव, कृ.उ.म.सं. जैतसर के विरूद्ध दर्ज रजिस्र किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए राजपैरोकार (उपतहसीलदार जैतसर) उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं. 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हैं। प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में पूर्व में ग्राम वासियों के समक्ष राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारीयों द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पैमाईश कर रास्ता की निशानदेही दी गयी हैं। जिसके उपरान्त प्रार्थीगण के आवेदन पर पुनः पैमाईश की तथा अन्ततः उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्देशों पर दिनांक 05.06.2024 को पैमाईश की गयी हैं, जिसकी सूचना प्रार्थीगण को नहीं दी गयी हैं। पैमाईश में प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर सड़क	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विविध प्रार्थना पत्र प्र.सं. 70/2024 जीसीएमएस नं. : 2024/130 देवीचन्द–हरजिन्द्र कुमार बनाम सरकार जरिए तहसीलदार श्रीवियजनगर एवं सचिव, कृ.उ.म.स. जैतसर	नम्बर व तारीख अहकाम

बनाए जाने के निशान दिए गये हैं, जबकि प्रार्थीगण को कोई मुआवजा नहीं दिया गया हैं। प्रार्थीगण यदि पूर्व में चल रहे खड़वजां पर डामर सड़क बनाई जाती हो सहमत हैं। अतः सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति जैतसर को पूर्व में चल रही खड़वंजा सड़क पर ही डामर रोड बनाए जाने हेतु निर्देशित करने के लिए निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि राजस्व रिकार्ड नक्शा में प्रार्थीगण के मु.नं. 5 प.नं. 133/356 तथा मु.नं. 6 प.नं. 134/356 के कि.नं. 21 ता 25 में दक्षिण दिशा में लाल स्याही से डोटेड रास्ता अंकित हैं। नक्शा में पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित नोट अंकित हैं कि मु.नं. 1 से 8, 21 से 24 26 से 29, 38, 39, 46, 47, 48, 51, 54 में आदेश मि.नं. 28/77 राजस्व अभियान में रास्ता 0.025है. स्वीकृतशुदा हैं। उपरोक्त मि.नं. से स्वीकृत रास्ते का तत्समय नक्शा में अंकन हो गया किन्तु जमाबंदी में अंकन होने से रह गया। जिला अभिलेखागार अनूपगढ़/श्रीगंगानगर से उक्त मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर जमाबंदी में भी अंकन की कार्यवाही कर ली जायेगी। उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते पर कृषि उपज मण्डी समिति जैतसर द्वारा डामर सड़क का निर्माण कार्य चालू किया था। उपतहसीलदार जैतसर के आदेश पर गठित टीम द्वारा स्वीकृतशुदा रास्ते का सीमांकन कर रास्ते के निशान दिये गये। पटवारी हल्का एवं टीम की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मु.नं. 5 व 6 में स्वीकृत रास्ता उक्त मुरब्बों में नहीं चलकर मुरब्बा लाईन से करीब 40–50 फुट दूर दूसरे मुरब्बे में चल रहा था। कृ.उ.म.स. जैतसर द्वारा स्वीकृतशुदा रास्ते पर सडक का निर्माण किया जा रहा हैं। किसी भी न्यायालय द्वारा आदिनांक तक स्वीकृतशुदा रास्ते के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। विधि अनुसार स्वीकृतशुदा रास्ता होने से जनहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर स्वीकृतशुदा रास्ते पर ही सड़क निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निवेदन किया गया हैं कि राजस्व नक्शों के अनुसार ही तकमीने तैयार किये गये हैं। डामर रोड सही लाईन पर बनाई जा रही हैं। प्रार्थीगण द्वारा सड़क निर्माण का कार्य करने नहीं दिया जा रहा हैं। प्रार्थीगण के निवेदन करने पर पुनः पटवारी द्वारा निशान दिये गये हैं। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी हैं। सड़क निर्माण का कार्य रोकने से लाभान्वित होने वाले हजारों ग्रामीणों को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 22.04.2024, 01.05.2024, 04.05.2024 तथा दिनांक 05.06.2024 को प्रश्नगत सड़क की भूमि के संबंध में पैमाईश की गयी हैं। मौका फर्द का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त पैमाईश/सीमाज्ञान में दी गई निशानदेही में भिन्नता हैं। दिनांक 05.06.2024 को उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्देशों पर की गयी पैमाईश में कमेटी द्वारा माना गया हैं कि पूर्व में की दिये गये निशानों में कुछ सही व कुछ में अन्तर पाया गया हैं। जिसका मुख्य कारण सभी पत्थरों का सही होना नहीं हैं। दिनांक 05.06.2024 को किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा में प.नं. 134/353 को गलत होना दर्शाया गया हैं। दिनांक 11.06.2024 को प्रार्थी देवीचन्द द्वारा प्रार्थना पत्र पैमाईश दिनांक 05.06.2024 के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि कमेटी द्वारा दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विविध प्रार्थना पत्र प्र.सं. 70/2024 जीसीएमएस नं. : 2024/130 देवीचन्द–हरजिन्द्र कुमार बनाम सरकार जरिए तहसीलदार श्रीवियजनगर एवं सचिव, कृ.उ.म.स. जैतसर	नम्बर व तारीख अहकाम

05.06.2024 को सीमाज्ञान के संबंध में प्रार्थी को सूचित नहीं किया गया। सूचना होने पर जब प.नं. 134/352 के पत्थर से नापने हेतु निवेदन किया तो कमेटी ने प्रार्थी की नहीं सुनी। प्रार्थी द्वारा विजयनगर तहसील के अलावा अधिकारियों से प्रार्थी की उपस्थिति में प्रार्थी के खर्च पर जीपीएस सिस्टम से पैमाईश करवाने व प्रार्थी के खर्च पर पैमाईश की विडीयोग्राफी करवाने हेतु निवेदन किया गया हैं।

न्यायालय की राय में चूंकि पूर्व में किए गये सीमाज्ञानों में अलग अलग पत्थर से नापने पर अलग अलग निशान प्राप्त हुए हैं ऐसी स्थिति में प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय हेतु भू प्रबन्ध विभाग से डीजीपीएस के माध्यम से पत्थरगढ़ी/ सीमाज्ञान करवाया जाना उचित हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा डीजीपीएस के माध्यम से सीमाज्ञान आदि करवाने में हुआ खर्च प्रार्थीगण द्वारा वहन किये जाने के संबंध में सहमति प्रकट की हैं, और सीमाज्ञान हेतु आदेश दिऐ जाने के लिए निवेदन किया हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता हैं कि तहसीलदार श्रीविजयनगर ग्राम 4 एलसीए तहसील श्रीविजयनगर के प.नं. 134/356 मु.नं. 6 कि.नं. 25 एवं प.नं. 133/356 मु.नं. 5 कि.नं. 21 ता 25 की सड़क भूमि का भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों की सहायता से डीजीपीएस के माध्यम से पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें। सीमाज्ञान संबंधित समस्त कार्यवाही तहसीलदार अनूपगढ़ की उपस्थिति में सम्पादित की जावेगी। सीमाज्ञान की कार्यवाही उभयपक्ष की उपस्थिति में सम्पादित की जावे। सीमाज्ञान हेतु नियत तिथि से दो दिवस पूर्व प्रार्थीगण को विधिवत रूप से अनिवार्यतः सूचित किया जावे। भू प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर डीजीपीएस के माध्यम से सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें। सीमाज्ञान के संबंध में समस्त खर्च का वहन प्रार्थीगण द्वारा किया जावेगा। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता हैं कि भू प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय बीकानेर एवं तहसील कार्यालय श्रीविजयनगर के द्वारा सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाने हेतु निर्देशित किये जाने पर अविलम्ब राशि जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। सीमाज्ञान संबंधित समस्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर ली जावे। सीमाज्ञान के पश्चात प्राप्त होने वाले निशानों अनुसार ही सड़क का निर्माण किया जावे। इस हेतु पृथक से पत्राचार नहीं किया जावे। जिला पुलिस अधीक्षक, अनूपगढ़ तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त सीमाज्ञान कार्यावाही शान्ति पूर्वक सम्पादित करवाने और मौका पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक्ताअनुसार पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, अनूपगढ़, भू प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर, तहसीलदार अनूपगढ़ एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S.
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)